**मा0 उच्चतम न्यायालय का प्रकरण**
**संख्या-2895 /9-8-2025-10ज/2023टी.सी.**

**प्रेषक,**

**एस0पी0 गोयल**
**मुख्य सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ पंचायती राज/ पशुपालन/ आवास एवं शहरी नियोजन/ परिवहन/ लोक निर्माण/ ग्राम्य विकास/ गृह/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ व्यावसायिक शिक्षा / खेल / युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. चेयरमैन, एन.एच.ए.आई., भारत सरकार।
3. महाप्रबन्धक, एन.आर./एन.ई.आर./एन.सी.आर. रेलवे।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा/नौएडा/उपशा।

**नगर विकास अनुभाग-8** **लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2025**

**विषयः-** मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सु-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं.-5/2025 ''सिटी हाउण्डेड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस'' बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त, 2025 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2025 का अनुपालन।

**महोदय**,

वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण एवं पर्यावरण के परिवर्तन के फलस्वरूप मानव एवं श्वानवंशीय पशुओं के मध्य बढ़ते संघर्ष को मा0 न्यायालयों द्वारा संज्ञान में लिया गया है। निराश्रित श्वानों की संख्या एवं यदा-कदा उनके आक्रामक व्यवहार से जन-मानस को होने वाली हानि के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थलों से उन्हें हटाने तथा बंध्याकरण, कृमिनाशक टीकाकरण इत्यादि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सु-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं. 05/2025 ''सिटी हाउण्डेड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस'' बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त, 2025 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2025 का अनुपालन सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं द्वारा किया जाना है।

**2.** मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के अनुपालन में कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

**1-**सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 द्वारा ए0बी0सी0 (एनिमल बर्थ कन्ट्रोल) सैन्टर्स को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने एवं उनका गैप ऐनालिसिस करते हुए व कमियों का निराकरण कर ए0बी0सी0 रूल्स, 2023 के अनुसार पूर्ण क्षमता के साथ संचालन सुनिश्चित करें, ताकि एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए Observation का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

**2-** सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (NH), राज्य राजमार्गों और ऐक्सप्रेसवे से निराश्रित पशुओं को हटाने से सम्बन्धित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के पैरा 10 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग, एन.एच.ए.आई. (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण), यू.पी.ई.आई.डी.ए. (उत्तर प्रदेश

Dog go

ऐक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण), यूपी.एस.एच.ए. (उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण), लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां सुनिश्चित कराई जाएं:-

(1) सभी नगर प्राधिकरणों के साथ-साथ समन्वय कर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और ऐक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों एवं अन्य निराश्रित पशुओं को चरणबद्ध रूप से हटाने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें।

(2) संयुक्त रूप से पहचान किए गए हिस्सों से निराश्रित पशुओं को चरणबद्ध रूप से हटाकर निर्धारित आश्रयों, गौशालाओं/ शैल्टर में स्थानान्तरित किया जाए। इस कार्य हेतु उपयुक्त गौशालाओं/ शैल्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए तथा ऐसे पशुओं को रखने हेतु पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

(3) 24x7 निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए समर्पित राजमार्ग गश्ती दल का गठन किया जाए।

(4) राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा ऐक्सप्रेसवे पर नियमित अन्तराल पर अपने-अपने हैल्पलाइन नम्बर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, जिससे निराश्रित पशुओं के विचरण/ आवागमन होने पर सूचित किया जा सके।

(5) सम्बन्धित अधिकारी उन्हें सौंपे गए कार्यों हेतु उत्तरदायी होंगे।

(6) नियत अवधि के भीतर चरणबद्ध प्रगति आख्या का विवरण नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जाए।

**3.** मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के पैरा 25 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में नगर विकास विभाग/ शिक्षा विभाग/ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ खेल एवं युवा कल्याण विभाग/ परिवहन विभाग/ पंचायती राज विभाग/ भारतीय रेलवे एवं समस्त जिलाधिकारियों द्वारा निम्नवत कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जाएं:-

(1) सर्वप्रथम शहरी निकायों के सीमान्तर्गत सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैण्डों/डिपो तथा रेलवे स्टेशनों की पहचान की जाए।

(2) निराश्रित श्वानों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसरों को पर्याप्त बाड़, चहारदीवारी और गेट से सुरक्षित किया जाए तथा सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर ली जाए, जिससे एक बार निराश्रित श्वानों को हटाने के उपरान्त अन्य श्वान उस स्थान पर न आ सकें।

(3) परिसर की स्वच्छता और निराश्रित श्वानों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रत्येक परिसर हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। नोडल अधिकारी का नाम व सम्पर्क नम्बर परिसर आगमन के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए। सरकारी विभागों/ संस्थाओं एवं निजी इकाईयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नामित नोडल अधिकारी के नाम व सम्पर्क नम्बर स्पष्ट रूप से साइनेज बोर्ड के माध्यम से अंकित किए जाएं।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निराश्रित श्वानों का आवास ऐसे संस्थानों अथवा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के आस-पास न हो, हर तीन महीने में सम्बन्धित निकाय अथवा विभाग एवं संस्थान द्वारा कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाए।

(5) परिसर के भीतर पाए गए प्रत्येक निराश्रित श्वान को हटाने और उन्हें नसबन्दी और टीकाकरण के बाद निर्दिष्ट (Designated) श्वान शैल्टर में स्थानान्तरित कराएं; इस कार्य हेतु जिन निकायों में ए0बी0सी0 सैन्टर हैं, वे प्राथमिकता पर परिसरों के श्वानों की नसबन्दी सुनिश्चित करेंगे तथा उपयुक्त शैल्टर व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ऐसे श्वानों को उनमें रखना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे पशुओं को पकड़ने, परिवहन करने तथा उनके रख रखाव में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

(6) निराश्रित श्वानों के लिए बनाए जाने वाले शैल्टर में सभी व्यवस्थाओं का ऑकलन कर चरणबद्ध तरीके से कार्ययोजना के अनुसार बजट की उपलब्धता एवं तदुपरान्त निर्माण हेतु कार्यवाही की जाए।

- 3 -

(7) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विशेष रूप से प्रत्येक समय ऐण्टी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन का अनिवार्य स्टॉक बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु सरकारी एवं ग़ैर सरकारी अस्पतालों को निर्देश निर्गत किए जाएँ।

(8) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पशुओं के आसपास सुरक्षात्मक निवारण व्यवहार (Protective and Prevention Behaviour) हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रथम उपचार हेतु जागरूकता सत्र आयोजित करने हेतु निर्देश निर्गत किए जाएं। इस हेतु भारत सरकार द्वारा दिए गए अन्य निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(9) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्टेडियम और खेल परिसरों में ग्राउण्ड कीपिंग कार्मिकों की तैनाती हेतु निर्देश निर्गत किए जाएं, जिन्हें विशेष रूप से निराश्रित श्वानों के प्रवेश या इनके निवास के सम्बन्ध में 24 घण्टे निगरानी का काम सौंपा जाए।

(10) नगर निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के साथ नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु राज्य पशु जन्म नियन्त्रण अनुश्रवण समिति द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

**4.** उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराए जाएं:-

(1) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समस्त सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ऐण्टी रेबीज़ वैक्सीन की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा डॉग-बाइट के आंकड़ों के संकलन में पालतू श्वानों और निराश्रित श्वानों द्वारा काटने की घटनाओं को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के दिनांक 07 मार्च, 2024 के निर्देशानुसार पृथक-पृथक प्रारूप में दर्ज किया जाए।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में कार्यवाही पशुपालन, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा समन्वित रूप से कार्ययोजना बना कर की जाए।

(3) जिन जनपदों में ए0बी0सी0 सैन्टर स्थापित नहीं हैं, पशुपालन विभाग द्वारा उन्हें नियमानुसार आच्छादित करने हेतु जिला मुख्यालय में स्थित पशु चिकित्सालयों में, जहाँ संभव हो, ए0बी0सी0 सैन्टर के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं, जिनमें बजट व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख हो।

(4) पशुपालन विभाग द्वारा राज्य पशु कल्याण बोर्ड, पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, गौ-अनुसन्धान संस्थान (DUVASU), मथुरा तथा विषय विशेषज्ञों से समन्वय बनाते हुए राज्य में निराश्रित श्वानों हेतु आजीवन आवास हेतु अद्यतन शैल्टर व्यवस्था पर अध्ययन कर संस्तुति दी जाए तथा इस प्रकार के स्थानों से संक्रामक रोग फैलने की संभावनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की जाए।

(5) प्रदेश में ए0बी0सी0 सैन्टर के सफल संचालन हेतु लखनऊ स्थित ए0बी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र, जरहरा में सम्बन्धित सभी संस्थाओं द्वारा अपने कार्मिकों को प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित किया जाए।

(6) सम्बन्धित विभाग मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संलग्न प्रारूप-A पर सूचना नगर विकास विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**5.** उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव तथा सस्थानों के अध्यक्ष एवं समस्त जिलाधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

**( एस0पी0 गोयल )**
मुख्य सचिव।
19/12/2025

Dog go

**संख्या एवं तद्दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10. सुश्री गौरी मौलेखी, सदस्य, पशु जन्म नियन्त्रण निगरानी समिति।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( पी. गुरूप्रसाद)**
प्रमुख सचिव ।

# मा0 उच्चतम  न्यायालय के आदेशों के क्रम में विभागों द्वारा वांछित सूचना हेतु प्रारूप-A

| क्र. | जनपद | निकाय | विभाग/ संस्थान का नाम | परिसर/ मार्ग/रेल खण्ड | सरकारी/ निजी | नोडल अधिकारी का नाम व मो0नं0 | बाउण्ड्री वाल/बाड़/गेट (है/नहीं) | यदि नहीं है तो कब तक पूर्ण हो जाएगा। | हैल्पलाइन नं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |